

21/03/24

पत्रावली पत्रा ६६) वकील प्रार्थी अनु०
न्यायालय सभ्य में प्रार्थी वकील को करु
कर तीन बार आवाज लगाई, लेकिन
प्रार्थी को थोर से कोई ३५० नहीं था,
अतः प्रार्थी का आवेदन अदालत पर की अदालत
द्वारा ही खारिज किया जाता है। पत्रावली
में शायद सुना होना या खिल ५५२ ही संख्या
से कर है।

अखण्ड अधिकारी
चौहान

